



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53826

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2531/2026

शाहरुख उर्फ शाहील अली

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

नीरज श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी मौर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन मुकदमा अपराध नंबर 425/2017 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 308 और 342 के तहत, थाना कोतवाली कटरा, जिला मिर्जापुर में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायल/प्रथम सूचक को लगी सभी चोटें मामूली प्रकृति की पाई गई हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि वह मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार किया है।
6. अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-आरोपी मोनू, एक टेम्पो चालक और 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचक पर हमला किया था। हालांकि, प्रथम सूचक को मामूली चोटें आई हैं।
7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पिछला अभिलेख, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, अपीलार्थी की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता **शाहरुख उर्फ शाहील अली** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अभियोक्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) अभियोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;

(iii) अभियोक्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) अभियोक्ता संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

वंदना